12.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। प्रार्थी न तो स्वॅय और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता इस मामले में उपस्थित आये। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विगत तिथि पर प्रार्थी को पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु प्रार्थी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गयी है और आज भी प्रार्थी उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी की इस वाद की कार्यवाही को चलाने में कोई रूचि नहीं है। अतः प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण वाद प्रार्थी की अनुपस्थिति में एवं पैरवी के अभाव में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

जिला न्यायाधीश,
सहारनपुर।